

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक-प. 2(1)राज-6/2018/59

जयपुर, दिनांक- 20.8.2020

अधिसूचना

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (वर्ष 1971 का अधिनियम सं० 12) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही के प्रस्तावानुसार ग्रामदानी ग्राम हाथल जिला सिरोही में स्थित भूमि में से नीचे दर्शित अनुसूची अनुसार भूमि के प्रबन्धन से ग्राम सभा को एतद्द्वारा निर्निहित करती है:-

ग्रामदानी ग्राम	खसरा नं०	किस्म	कुल क्षेत्रफल (बीघा में)	निर्निहित क्षेत्रफल (बीघा में)
हाथल	1366	बा०सा०	60.14	5.00

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश आषुसरिया)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
3. जिला कलक्टर, सिरोही।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 20.8.2020 में प्रकाशन हेतु।
5. अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्राम हाथल, जिला सिरोही (राज०)।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव